न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 223/2017

1. राजू पुत्र हजारी
2. अर्जुन पुत्र हजारी

तमाम जाति बागरिया निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——वादीगण

♦ बनाम ♦

1. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
2. रतन पुत्र चौथमल भाट
3. गोपाल पुत्र चौथमल भाट
4. नाथू पुत्र चौथमल भाट
5. मूलचन्द पुत्र रामदेव कौली
6. प्रताप पुत्र हरजी बागरिया

तमाम निवासीगण ग्राम देवगांव तह.केकडी जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण

7. गलकू पत्नि हजारी
8. कजोड पुत्री हजारी
9. बदाम पुत्री हजारी
10. प्रेम पुत्री हजारी
11. पांचू पुत्र हजारी

तमाम जाति बागरिया निवासीगण देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर

————प्रफॉर्मा प्रतिवादी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 22.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम देवगांव की जमाबन्दी संवत 2069—72 के

खाता संख्या		खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
नया	पुराना			
164	978—79	3641	0.13	बारानी 2
		3643	0.06	बारानी 2
		3964	0.53	बारानी 1
		3965	0.28	बारानी 1

कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.00 हैक्ट.

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व प्रार्थीगण स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त आराजीयात के सीमाचिन्ह खुर्द बुर्द हो गये जिस कारण आराजीयात के पडोसी कब्जेकाश्त के समय छोटी छोटी बात पर अप्रार्थीगण से लडाई झगडे होते है तथा अप्रार्थीगण येनेकेन प्रकार से प्रार्थीगण को उनकी आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू रखते है। जिस कारण मजबूर होकर प्रार्थीगण को पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थीगण दिनांक 25.4.17 को उक्त आराजी की देखभाल करने गये ।तब अप्रार्थीगण द्वारा सीमाचिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा सीमाचिन्हो के अभाव में खेत में काश्त नहीं करने दी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजीयात की पत्थरगढी सभी पक्षकारान की उपस्थिति में करवाये जाने के आदेश तहसीलदार केकडी को दिया जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित होये। उन्हे सुना गया। अप्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है। तहसीलदार केकडी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 8.6.2018 में अवगत कराया कि खसरा नम्बर 3641, 3643, 3964, 3965 कुल किता 4 रकबा 1.00 है. में राजू व अर्जुन पुत्रगण हजारी का ही कब्जा काश्त होना बताया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम देवगांव की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 164–978–79 कुल किता 4 कुंल रकबा 1.00 है. की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को केम्प देवगांव मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी(अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner